न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ0ग0)
रा0प्र0क्र0 202405260300078/अ–6 अ/2023–24

दिलीप दास आ. स्व. सुधीर दास, उम्र लगभग 60 वर्ष, जाति–कायस्थ, निवासी विद्यानगर, थाना एवं तहसील–पखांजूर, जिला–कांकेर, (छ.ग.) द्वारा मुख्तारग्रहीता धनंजय मंडल आ. स्व. विश्वनाथ मंडल, उम्र लगभग 36 वर्ष, जाति–नमोशुद्र, निवासी ग्राम–रविन्द्रनगर, थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर, (छ.ग.)

आवेदक

प्रति

छ0ग0 शासन/सर्वसाधारण

अनावेदक

// आदेश //

(पारित दिनांक 24/09/24)

यह प्रकरण आवेदक दिलीप दास आ. स्व. सुधीर दास, उम्र लगभग 60 वर्ष, जाति–कायस्थ, निवासी ग्राम–विद्यानगर, थाना एवं तहसील–पखांजूर, जिला–कांकेर (छ0ग0) द्वारा मुख्तारग्रहीता धनंजय मंडल आ. स्व. विश्वनाथ मंडल, उम्र लगभग 36 वर्ष, जाति–नमोशुद्र, निवासी ग्राम–रविन्द्रनगर, थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर (छ0ग0) की ओर से ग्राम–राजयनगर, प.ह.न.–27 थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, स्थित भूमि पुराना खसरा नम्बर 417, 418, 420 रकबा 07 एकड जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 375 रकबा 2.80 हे. को पुर्नवास विभाग की भूमि को शासकीय पट्टा राजस्व प्रकरण क्रमांक 111/अ–19/1989–90 के माध्यम से आवेदक पट्टा जारी होने के आधार पर उक्त पट्टे के मूल प्रकरण की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करते हुये वादभूमि का खसरा प्रस्तुत कर त्रुटिसुधार हेतु छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–115 के तहत् प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज कर जाच प्रतिवेदन तहसीलदार लटोरी को भेजा गया।

प्रकरण मे तहसीलदार लटोरी, जिला–सूरजपुर, (छ.ग.) के द्वारा ईश्तहार का प्रकाशन कर दावा/आपत्ति आहूत की गई। तय समय–सीमा के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नही होना प्रतिवेदित किया गया है तथा मुख्तारग्रहिता धनंजय मंडल आ. स्व. विश्वनाथ मंडल का कथन अंकित कर हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया जाकर प्रकरण अंतिम कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया। प्रकरण मे कन्हईलाल दास एवं सुधीर दास का मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा, नक्शा एवं निस्तारित सूची प्रस्तुत की गई है। वादभूमि का पुराने नम्बर के आधार पर कुल 07 एकड का पट्टा जारी किया जाना भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त पट्टा का दायरा पंजी/राजस्व मामले की पंजी वर्ष 1989–90 के शीर्ष अ–19 के सरल

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

(1)

Print Date :06-Jan-2025

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण)

ग्राम : संजयनगर (6407227) हल्का : 00027 रा नि : पिलखा तहसील : लटोरी जिला : सूरजपुर

फसल की जानकारी कृषि वर्ष 2024-2025 की है |

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम	खाते की भूमि - क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई - फसल का नाम	खाते की भूमि - क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई - क्षेत्रफल	खाते की भूमि - क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई - दुफ़सली क्षेत्रफल	खाते की भूमि - पड़ती का क्षेत्रफल - चालू वर्ष की पड़ती	खाते की भूमि - पड़ती का क्षेत्रफल - 2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	खाते की भूमि - पड़ती का क्षेत्रफल - अन्य पड़ती अर्थात 5 वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
375/2	2.8000 हे.	दिलीप दास, पिता सुधीर दास, वर्ग-सामान्यकायस्थ	मक्का	0.6000 हे.						खसरा आईडी : 126612850 ऋण पुस्तिका:P

टीप:-- टर्म ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' से प्राप्त होगा |

पिताजी की मृत्यु उनके निवास ग्राम पी.व्ही. 42, विद्यानगर पाखंजूर जिला–कांकेर छ. ग. में नही हुई है। इसी वजह से इनके द्वारा दिलीप दास के द्वारा न्यायालय पांखजूर के तहसील कार्यालय में मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया गया। जब इनके परिवार के द्वारा बताया गया की किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जिस स्थान जिस ग्राम में होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र वही से जारी किया जाता है। जबकि इनके पिता सुधीर दास की मृत्यु ग्राम संजय नगर पोस्ट अजबनगर, मे निवासरत् विश्वनाथ मंडल के घर पर हुई है। तब इनके द्वारा न्यायालय पाखंजूर में दिए मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के संबंध में उपस्थित नही हुए। जिस वजह से इनका पिताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन को खारिज कर दिया गया। तत पश्चात् इनके द्वारा और विश्वनाथ मंडल के पुत्र धनन्जय मंडल द्वारा ग्राम संजय नगर में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु नियामानुसार आवेदन दिया गया है। और फिर नियमानुसार मेरे आवेदन पर कार्यवाही करते हुये न्यायालय तहसीलदार लटोरी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उसके उपरांत अपनी भूमि राजस्व रिकार्ड में दूरूस्त करवाने हेतु त्रुटि सुधार के तहत् अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर के प्रक्ररण क्रमांक 202452603000078 आदेश के तहत् खसरा क्रमांक 375/2 रकबा 2.80 को फौत कराकर राजस्व अभिलेखों में रिकार्ड दुरूस्त करवाया गया।

दिलीप दास के जानकारी के अभाव का फायदा उठाकर महादेव मित्रा एवं उनके परिवार के द्वारा उक्त भूमि को हड़पने के उदेश्य से न्यायालय आयुक्त सरगुजा संभाग के यहां दायर याचिका में अपनी रसुख का स्तेमाल करते हुये यह बताया गया है। की कन्हाई लाल दास एवं उनके पुत्र सुधीर दास की मृत्यु ग्राम संजय नगर में नही हुई है। न ही पुर्नवास के तहत इनको पट्टा मिला है। जबकि उक्त भूमि का सादा पत्र अनुबंध इनके पिता के मानिन्द्रनाथ मित्रा के द्वारा अनुबंध किया गया था। अगर उक्त भूमि कन्हाई लाल दास की नही होती और न ही उन्हे किसी तरह का पट्टा प्राप्त नही होता तो 7.3.1963 को महादेव मित्रा के पिता मानिन्द्रनाथ मित्रा के द्वारा अनुबंध नही किया गया होता। इनका एक ही उदेश्य है किसी तरह उक्त भूमि पर कब्जा करना। जबकि कन्हई लाल दास को मिले पट्टे में अनुबंध सादा पत्र में अंकित समस्त भूमि का खसरा क्र. कन्हई लाल दास की समस्त भूमि का खसरा नं. का मिलान होता

दिनांक
23/06/25

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधिक्षक महोदय,

जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

विषयः– फर्जी आरोप लगाकर बार–बार मेरे एवं मेरे परिवार के स्वामीस्व की भूमि खसरा क्रमांक 375/2 को कब्जा करने के नियत से कई तरीके से मुझे और मेरे परिवार को फसाने की कोशिश करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त संबध में लेख है कि मेरे परदादा कन्हाई लाल आ. शशी रंजन दास जाति बंगाली (कायस्थ) ग्राम– संजयनगर (पूर्व में महावीरपुर) जिला–सूरजपुर छ.ग. के निवासी थे। उनकी मृत्यु 06.08.1997 ग्राम संजयनगर मे हो गई है। एवं उनके पुत्र सुधीर दास आ. कन्हाई लाल दास की मृत्यु 10.08.2001 को हो चुकी है। ग्राम संजय नगर निवासी, महदेव मीत्रा एवं उनके पुत्र मयंक मीत्रा, अनिकेत मीत्रा (मसीजा) के द्वार फर्जी तरीके से हमारी पुस्तैनी भू ग्राम संजय नगर के खसरा क्रमांक 375/2 हडपने के उद्देश्य से बार–बार परेशान करने के नीयत कभी तहसील, तो कभी अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सूरजपुर के अलावा न्यायालय आयुक्त सरगुजा संभाग व क्षेत्रीय थाना जयनगर को फर्जी आवेदन लगाकर अपने रसूख और पैसा के धौस दम पर अपने परिवार एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर प्रताड़ित करते रहता है। पूर्व में कई बार धमकी भी दे चुका है। कि उक्त जमीन को छोड़ दो नही तो कभी शांति से जीने नही दूंगा और जेल भेजकर ही दम लुंगा। सब प्रकार से परेशान करने के बाद सफलता नही मिलने पर भूमि हड़पने के उद्देश्य से अब एक मेरे पिताजी स्व. सुधीर दास आ0 कन्हई लाल दास की मृत्यु प्रमाण पत्र स्वर्गवास दिनांक 10.03.2001 तिथि को लेकर एवं मेरे परदादा के मृत्यु प्रमाण पत्र यह कहकर निरस्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। की उनकी मृत्यु दिनांक 06.08.1997 नही हुई। और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी है। जबकि मेरे द्वारा समस्त नियमों का पालन करते हुये नियमानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया है। इनके द्वारा मेरे परदादा एवं मेरे पिताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में अपने रसुख का स्तेमाल करते हुये तत्कालीन

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला – सूरजपुर
23/6/25

फार्म-

[illegible] 15 [illegible] 19 [illegible]

भूमि स्वामी अधिकारों के लिये मंजूरी पत्र

कार्यालय [illegible] के न्यायालय के [illegible] प्रकरण क्रमांक - [illegible] - 19/

[illegible] किया जाता है कि ग्राम - महावीरपुर [illegible], जिला-[illegible] में स्थित नीचे की सूची में उल्लेखित [illegible] भूमि [illegible] संहिता 1959 के [illegible] अधिकार [illegible] उन्होई लाल दास [illegible] शशि रंजन दास निवासी ग्राम-महावीरपुर - [illegible] जिला-[illegible] को [illegible] किया जाता।

उक्त भूमि [illegible] भू-राजस्व संहिता के [illegible] और [illegible] की शर्तों के अधीन धारण की जाएगी।

भू-मापन क्रमांक तथा उप संभाग क्रमांक या भू-खंड क्रमांक	क्षेत्रफल एकड़/हेक्टर	कर निर्धारण रुपये पैसे	
1.	2.	3.	4
४९६	2.४0		
४९२	३.00		
४२0	9.६0		
३	6.00	२.२५	
योग - छ: एकड़ मात्र.			

दिनांक:- /5/20

अपर कलेक्टर

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य-प्रतिलिपिकार

जिला कार्यालय [illegible] (छ०ग०)

व वर्तमान सरपंच को प्रभाव में लेकर उनके प्रमाण पत्र को मेरे द्वारा जारी नही किया गया है। ऐसा आरोप लगाकर मुझे एवं मेरे परिवार को फसाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त ग्रामपंचायत के उप सरपंच व कुछ पंच के समक्ष मेरे द्वारा सरपंच से मिलकर उप सरपंप एवं ग्रामीणों के समक्ष प्रमाण पत्र बनवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय तहसील लटोरी से जारी करवाया गया था। परन्तु महादेव मित्रा एवं उनके परिवार के द्वारा फसाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज एवं निराधार आरोप लगाकर मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्थ करवाने प्रायास किया जा रहा है। इनका उद्देश्य किसी तरह इनकी ग्राम संजय नगर 375/2 की भूमि को किसी भी प्रकार से अपना बाताकर हड़पने का उद्देश्य है। जबकि स्व. कन्हाई लाल दास आ. शशीरंजन से इनके पिता मानिन्द्र नाथ आ. शांतिभूषण मित्रा आपस में अच्छे मित्र थे। कन्हाई लाल दास के द्वारा अपने रिस्तेदार भाई के बिमार पड़ने के कारण 250 रू. उधारी सहयोग मांगकर वह पश्चिम बंगाल गये थे। उस वक्त इनके द्वारा छलपूर्वक तरिके से सादा पत्र एग्रीमेंट 07.03.1963 यह कह कर हस्ताक्षर (अंगूठा) करा लिया गया। आप हमारे मित्र है आप यहां नही रहेगें तो मै आपकी भूमि पुराना खसरा क्र. 417, 418, 420 एवं नया खसरा क्र. 375/2 की देखरेख करता रहूंगा। आप जब-जब नही रहेंगें उक्त भूमि की देखभाल मै करता रहूंगा। कोई अगर पूछेगा यह भूमि तो कन्हाई लाल दास की है। तुम क्यों कब्जा कर रहे हो उस समय यह दस्तावेज काम आयेगा। इसी बीच परिवार के स्वास्थ्य कारण की वजह से कई बार ग्राम अजबनगर से पश्चिम बंगाल आना जाना लगा रहा। जब इनके परिवार के लोग पश्चिम बंगाल में स्वस्थ्य हो गये तो कन्हाई लाल दास के द्वारा अपने मित्र स्व. मानिन्द्रनाथ मित्रा आ० शांतिभूषण को बोला गया कि अब मै अपने परिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूं। अब से मै अपनी भूमि की देखभाल खेती-बाड़ी स्वयं करूंगा। तब इन्होने गाली-गलौज करते हुये उक्त भूमि को छोड़ने से साफ मना कर दिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि तुम अपनी भूमि को हमसे सादा पत्र में बेंच चुके हो जबकि उस समय फर्जी तरिके से यह हस्ताक्षर कराया गया था। तुम्हाने वापस आने तक की मै तुम्हारी जमीन की देखभाल करूंगा। उक्त सादा पत्र को जब उनके पुत्र के द्वारा पढ़ा गया तो उसमें 250 अठारह साव रूपये लेकर उक्त जमीन को खेती-बड़ी केलिए दिया जा रहा है, जब पैसा वापस देगा तो मानिन्द्रनाथ मित्रा आ. शांतिभूषण मित्रा के द्वारा कन्हाई लाल

है। इससे साथ पता चलता है कि उक्त खसरे नं. की भूमि का पट्टा स्व. कन्हई लाल दास को मिला था और इनके द्वारा कब्जा करने की नियत से क्षलपूर्वक सादा पत्र में हस्ताक्षर करा लिया गया था। आज की तिथि में इनके द्वारा कन्हई लाल दास एवं उनके परिवार के संबंध में जो भी आरोप जमीन हड़पने के उद्देय से लगाये जा रहे है वह झुठा व निराधार है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि जानकारी के अभाव में या मृत्युप्रमाण पत्र के संबंध में दिये गये शिकायत को शुन्य करते हुये यथा स्थिति अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर के आदेश का पालन करवाकर खसरा क्र. 375/2 रकबा 2.80 को राजस्व अभिलेखों में पूर्व में दर्ज अनुसार दर्ज करवाने की महान कृपा करें। एवं फर्जी तरिके से बार बार मेरे और मेरे परिवार की भूमि हड़पने के उद्देश्य से परेशान करने वाले महादेव मित्रा एवं उनके पुत्र मयंक मित्रा एवं भतीजा अनिकेत मित्रा के उपर कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें। मै एवं मेरा परिवार सदैव आपका आभारी रहेगा।

दिनांक
23/06/25

आवेदक
दीलीप दास
~~सुधीर दास~~
[signature]

संलग्न दस्तावेज

① खसरा P2 दिलीप दास / सुधीर दास छाया प्रति
② अनु. वि. अधी. सुरजपुर की आदेश 24/09/24 की छाया प्रति
③ सर्वे सूची की छाया प्रति
④ पट्टे की छाया प्रति (कन्हाईलाल दास को प्राप्त पुर्नवास पट्टा)
⑤ मृत्यु प्रमाण पत्र कन्हाईलाल दास एव सुधीर दास की छाया प्रति

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

पक्षकार– दिलीप दास विरूद्ध छ.ग.शासन / सर्वसाधारण, ग्राम–संजयनगर

राजस्व प्रकरण क्रमांक– 202405260300078 / अ6अ / 2023–24

1	2	3
24.09.2024	–प्रकरण प्रस्तुत. –प्रकरण में पृथक से आदेश पारित कर संलग्न। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम–संजयनगर, प.ह.नं.–27 थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर, (छ0ग0) स्थित वादभूमि पुराना खसरा नम्बर 417, 418, 420 रकबा 07 एकड़ जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 375 रकबा 2.80 हे. वादभूमि को क्षेत्र पुस्तक एवं अन्यान्य राजस्व अभिलेखों में मूल पट्टेदार / भूमि स्वामी के वारिस आवेदक दिलीप दास आ. स्व. सुधीर दास, उम्र लगभग 60 वर्ष, जाति–कायस्थ का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है। –प्रकरण में पालन प्रतिवेदन लिया जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द.हो। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)	

(4)

ख 6 अ- . 19 (B)

फार्म [illegible] पंचायत [illegible]

राजस्व [illegible]

न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर [illegible] /अ-19

विषय:- भूमि स्वामी पट्टा प्रदान [illegible] -19

ग्राम :- महावीरपुर

आदेश क्रमांक दिनांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश [illegible]	[illegible] टिप्पणी
	आवेदक कुन्हाई लाल दास पिता शशि रंजन दास निवासी ग्राम महावीरपुर द्वारा [illegible] भूमि ख0 नं0 - 876, 872, 820 ------ कुल रकबा 6.00 एकड़ भूमि के भूमि स्वामी पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।	

1 - प्रकरण दर्ज हो।

2- कलेक्टर सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 774/[illegible]/90 दिनांक 16-[illegible]-90 में आवेदक का नाम सूची में दर्ज पाया गया। हल्का पटवारी से नक्शा एवं बी-1 की प्रति प्राप्त की गई। आवेदक को निम्न भूमि का भूमि स्वामी का पट्टा प्रदान किया जाकर प्रकरण नस्ती [illegible] हो।

ख0 नं0	रकबा
876	2.80
872	3.00
820	1.60
3	6

तहसीलदार
सूरजपुर

सत्य प्रतिलि[illegible]
मुख्य प्रतिलिपिक
[illegible] कार्यालय सूरजपुर

OPPO Reno8 5G

क्रमांक 111 पर दर्ज न होकर उक्त पंजी के सरल क्र. 37 में ग्राम–महावीरपुर/संजयनगर के पक्षकार/पट्टेदार कन्हाई लाल दास आ. शशि रंजन दास का नाम दर्ज होना उल्लेखित किया है। उक्त आशय के संबंध में राजस्व मामले की पंजी/दायरा पंजी तहसीलदार सूरजपुर के न्यायालय का वर्ष 1989–90 की सत्यप्रतिलिपि आवेदक द्वारा पेश किया गया है, जिसके सरल क्र. 37 मे पट्टेदार कन्हाई लाल दास के नाम पर पट्टा जारी करने संबंधित प्रकरण का उल्लेख है। उक्त पट्टा शुदा भूमि के पट्टेदार एवं उसके पुत्र सुधीर दास की भी मृत्यु हो चुकी है। दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न है। सुधीर दास के पुत्र दिलीप दास द्वारा अपने मुख्तारखास के धनंजय मंडल के द्वारा आवेदन पेश किया गया है। तहसीलदार लटोरी द्वारा धनजय मंडल आ. स्व. विश्वनाथ मण्डल का कथन अंकित किया गया है। जिसमें उक्त वादभूमि पर दिलीप दास के पक्ष में त्रुटिसुधार किये जाने संबंधित कथन किया गया है।

मेरे द्वारा प्रकरण में मौजूद तथ्यों एवं आवेदक दवारा प्रस्तुत आवेदन, हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मय पचनामा प्रतिवेदन, तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम–संजयनगर, प.ह.नं.–27 थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर, (छ0ग0) स्थित वादभूमि पुराना खसरा नम्बर 417, 418, 420 रकबा 07 एकड जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 375 रकबा 2.80 हे. वादभूमि आवेदक के पक्ष में त्रुटिसुधार किया जाना उचित पाता हूँ। अतः छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–115 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ग्राम–संजयनगर, प.ह.नं.–27 थाना–जयनगर, तहसील–लटोरी, जिला–सूरजपुर, (छ0ग0) स्थित वादभूमि पुराना खसरा नम्बर 417, 418, 420 रकबा 07 एकड़ जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 375 रकबा 2.80 हे. वादभूमि को क्षेत्र पुस्तक एवं अन्यान्य राजस्व अभिलेखों में मूल पट्टेदार/भूमि स्वामी के वारिस आवेदक दिलीप दास आ. स्व. सुधीर दास, उम्र लगभग 60 वर्ष, जाति–कायस्थ का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक 24/09/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं उद्घोषित।

(जगन्नाथ वर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
सूरजपुर-जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

दास को उस जमीन को वापस दे देंगे। परन्तु समय के साथ इनके भाव इनकी सोच परिवर्तन हो चुकी थी। अब यह किसी भी तरह कन्हाई लाल दास की उक्त भूमि को हड़पना चाहते थे। जिससे की कन्हाई लाल दास मानसिक रूप से इनकी प्रताड़ना से प्रताड़ित व बिमार रहने लगे। इनकी मानसिक प्रताड़ना की वजह से दिनांक 08.06.1997 को ग्राम अजबनगर, वर्तमान ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर में निवास में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात् उनके पत्र सुधीर दास आत्मज कन्हाईलाल दास के द्वारा स्व.मानिन्द्रनाथ मित्रा के पुत्र महादेव मित्रा एवं उनके पुत्र मयंक मित्रा एवं भतीजा अनिकेत मित्रा परिवार के सदस्यों से मिलकर ये मिन्नते की गई की आप लोगों से प्रताड़ित होकर मेरे पिताजी बिमार रहने लगे और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। मै अब लड़ाई झगड़ा नही चाहता हूं। मेरे पिताजी के द्वारा आप लोंगों को हमारी भूमि खेती बाड़ी के लिए दिए थे। जिसका सादा पत्र भी आप लोगों के पास है। सादा पत्र के हिसाब से जो लिखापढ़ी हुआ था उस राशि को वापस लेकर हमारी भूमि को छोड़ दिजिए। आप लोग चाहे तो प्रेमभाव से जो घर उक्त भूमि पर जितने रकबे पर आप लोग बनाये है उतना जमीन को मै फौत होने के बाद राजस्व रिकार्ड में (मेरे नाम पर चढ़ने) के बाद आपके नाम से रजिस्ट्री कर दूंगा। परंतु महादेव मित्रा एवं उनके पुत्र और भतीजा और परिवार के सदस्यों के द्वारा सुधीर दास को गाली गलौज, मारपिट कर वहां से भगा दिया गया। इसी बीच गांव के बुजुर्गों के माध्यम से कई बैठके कर आपस में समझौता कराने का प्रयास किया गया। परन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का समझौता करने से साफ मना कर दिया गया। और कन्हाई लाल दास के पुत्र सुधीर दास की भी मृत्यु इनकी मानसिक प्रताड़ना की वजह से दिनांक 10.06.2001 को ग्राम अजबनगर वर्तमान ग्राम पंचायत रविन्द्रनगर निवासी विश्वनाथ मंडल के यहां उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके पौत्र दिलीप दास आत्मज सुधीर दास (बाबा–कन्हाई लाल दास) ग्राम – पी.व्ही. 42, विद्यानगर पाखंजूर जिला–कांकेर छ.ग. को अपने दादाजी की भूमि वर्तमान खसरा क्रमांक 375/2 रकबा 2.80 ग्राम संजय नगर स्थित जिला सूरजपुर छ.ग. के बारे में जानकारी हुई की महादेव मित्रा व उनके परिवार के वजह से उक्त भूमि किसी कारण वश त्रुटि वजह से मेरे दादाजी कन्हाई लाल दास के नाम पर पुर्नवास पट्टा प्राप्त होने के बाद भी उक्त भूमि कुछ लोगों की वजह से राजस्व अभिलेखों में दर्ज नही हो पाया है। उनको यह ज्ञात नही था की उनके